# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मैनेजर बनाम प्रेम वगैरा**<br>**प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण**<br>**मु.न. 15/2017** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **30.07.2018** | अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण में पत्रावली बइंतजार तामील अप्रार्थी सं. 06 व 07 तथा उपखण्ड अधिकारी सिकराय की टिप्पणी हेतु पेशी तारीख आज नियत है। किन्तु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय श्री अशोक त्यागी का स्थानान्तरण हो चुका हैं। इसलिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।<br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचारधीन उद्‌घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी प्रेम वगैरा बनाम रामेश्वर वगैरा, प्रकरण.न. 145/2015 एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी प्रेम वगै. बनाम रामेश्वर वगैरा प्रकरण संख्या 66/2015 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>अति0 जिला कलेक्टर<br>दौसा | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official